राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 4538/2024

गिरिराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर डिविजन उदयपुर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा, जिला राजसमंद, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2024
आदेश की दिनांक : 15.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कपिल बारधार, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मोटा की गुआर की गुआर, दिवेर, राजसमन्द से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लसानी ब्लॉक देवगढ, राजसमन्द में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को ब्लॉक परिवर्तित करते हुए दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित/स्थानांतरित किया गया है, जो राज्य सरकार की नीति के विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को समंजित करने की गरज से अपीलार्थी को दूरस्थ पदस्थापित किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश से यह प्रकट

होता है कि अपीलार्थी को उसी जिले में पदस्थापित रखा गया है। साथ ही अपीलार्थी का विद्यालय क्रमोन्नत होने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को स्थानांतरित/पदस्थापित किया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकताओं में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष